पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अन्तर
(Difference between Curriculum and Syllabus)

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु दो शब्दों को साधारणतः एक ही अर्थ में प्रयोग किया है परन्तु शिक्षा शास्त्र के अन्तर्गत दोनों में अन्तर है। पाठ्यक्रम के अन्दर पाठ्यवस्तु को सम्मिति किया जाता है। पाठ्यवस्तु (Syllabus) से तात्पर्य होता है शिक्षण विषय की रूप-रेखा जोकिसी स्वर के लिये निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिये हाई स्केल कक्षा में गणित विषय में किन-किन उप-विषयों की कितनी पाठ्यवस्तु अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिये निर्धारित किया है जिस पर परीक्षा में प्रश्नों को करने के लिए दिया जायेगा, शिक्षक छात्रों को उन्हीं प्रकरणों को पढ़ाकर परीक्षा के लिये तैयार करता है उसे गणित की पाठ्यवस्तु (Syllabus) कहते हैं। पाठ्यवस्तु का सम्बन्ध ज्ञानात्मक (Cognative) पक्ष के विकास से होता है।

पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालक के सम्पूर्ण विकास से होता है। जिसके अन्तर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय के अन्तर्गत शिक्षण क्रियाओं का सम्बन्ध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है खेल-कूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध शारीरिक विकास से होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पर्वो पर जिन कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है उनसे सांसकृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्काउटिंग तथा एन० सी० सी० के आयोजन से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक व्यापक होता है जबकि पाठ्यवस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है जिसके अन्तर्गत शिक्षण-विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित करते हैं।

पाठ्यक्रम-विकास
(Curriculum Development)

इस प्रत्यय में 'पाठ्यक्रम विकास' का प्रयोग साधारण तथा अधिक किया जाता है। "पाठ्यक्रम विकास" का अर्थ है निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती है। कहाँ से आरम्भ हुई इसका भी बोध नहीं है। शिक्षण की आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों से हो जाती है जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करना है। परीक्षण के द्वारा यह भी जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं।

इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिगम-अवसरो के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहारों में विशिष्ट परिवर्तन लाना तथा परीक्षण द्वारा यह जानना कि किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इस प्रत्यय को पाठ्यक्रम-विकास की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है इसलिये पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा हो जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह प्रकिया चक्रीय तथा निरन्तर चलने वाली मानी जाती है।—

इसके प्रमुख तत्त्व चार माने जाते हैं।—

1. शिक्षण उद्देश्य—सभी साधनों का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्त के लिये किया जाता है पाठ्यवस्तु का साधन है उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि।

2. शिक्षण विधि तथा पाठ्यवस्तु—छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिये अधिगम-परिस्थितियाँ तथा अवसर शिक्षण विधियों एवं पाठ्यवस्तु की सहायता से उत्पन्न किये जाते हैं। जिससे उद्देश्य प्राप्त किये जा सके।

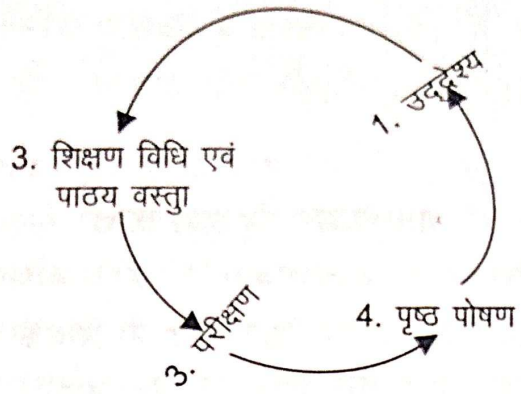

3. परीक्षण प्रक्रिया—इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षण विधियों तथा पाठ्यवस्तु से किसी सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है।

4. पृष्ठरोपण—परीक्षण का अर्थापन शिक्षकों तथा छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान करता है तथा पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिये दिशा मिलती है। पृष्ठपोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य
(Objective of Curriculum)

शिक्षा की प्रक्रिया के तीन प्रमुख घटक होते हैं—

(1) शिक्षक, (2) शिक्षार्थी तथा (3) पाठ्यक्रम। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र के अन्त:क्रिया (Interaction) पाठ्यक्रम के माध्यम से होती हे। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करते हैं। इन तीनों घटकों के पारस्परिक अन्त:प्रक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षण में तीनों घटकों का विशेष महत्त्व होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन है, शिक्षक साध्य तथा छात्र साधक होता है। पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है—

(1) पाठ्यक्रम बालक के सम्पूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को सम्पादित किया जाता है।।

(2) पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृतिक तथा सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास करना।

(3) पाठ्यक्रम को बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना।

(4) पाठ्यक्रम को बालक की चिन्तन, मनन तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना।

(5) पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों तथा क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुसार नाना प्रकार की सर्जनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना।

(6) पाठ्यक्रम को सामाजिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों एवं कलाओं तथा धर्मों के आवश्यक ज्ञान द्वारा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना चाहिये जो प्रत्येक परिस्थिति में साधनपूर्ण तथा साहसपूर्ण बनकर नवीन मूलयों का निर्माण करना।

(7) पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिये अन्वेषकों का सृजन करना।

(8) पाठ्यक्रम को विषयों तथा क्रियाओं के बीच की खाई कों पाटकर बालक के सामने ऐसी क्रियाओं को प्रस्तुत करना जो उसके वर्तमान तथा भावी जीवन के लिये उपयोगी बनाना।

(9) पाठ्यक्रम को बालक में जनतंत्रीय भावना का विकास करना।

(10) पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं तथा शिक्षक तथा छात्र के मध्य अन्त:प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारित करना।